रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933
No. 418] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 573(अ).—केन्द्रीय सरकार, सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारूप जो कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1993 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट हो, जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबध में कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए देना चाहता है, तो उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी जी ओ काम्पलेक्स, एनएच - IV, फरीदाबाद, हरियाणा- 121001 को भेज सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए भेजेगा ।

3. सभी आक्षेपों या सुझावों, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त हो सकेंगे , केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना :--**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2011 है ।

(2) ये फैमिली फाबेसीया के ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मेर पादप से प्राप्त किए गए सोयाबीन को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) **परिभाषाएं :**--

(i) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ii) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार सोयाबीन के श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने का प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(iii) "प्राधिकरण प्रमाण पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिन्ह से सोयाबीन का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने का प्राधिकार देता है ;

(iv) "साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;

(v) "श्रेणी अभिधान चिन्ह" से नियम 5 में प्रति निर्देशित "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है

(vi) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

2(2). उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके हैं ।

3. श्रेणी अभिधान :-- श्रेणी अभिधान सोयाबीन की क्वालिटी को दर्शित करते हैं जो अनुसूची2 के स्तंभ 1 में वर्णित किए गए अनुसार होगी ।

4. गुणवत्ता :-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सोयाबीन की क्वालिटी अनुसूची 2 में दिए गए अनुसार होगी ।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह :-- श्रेणी अभिधान चिन्ह में प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्यांक "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम, और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृशय श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले "एगमार्क चिन्ह" से मिलकर बना एगमार्क प्रतीक होगा ।

6. पैकिंग की पद्धति.--

(i) सोयाबीन को बोरे या जूट थैला, पोलिवोवन थैलों, पोली पाउच, कपड़ा थैला, उच्च घनत्व पोली इथाइलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड पेपर थैला, नया या अनमेंडेड बी-ट्विल थैला या उपयुक्त इनर लाइनिंग के साथ कोई अन्य उपयुक्त खाद्य श्रेणी पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित हो ।

(ii) पैकिंग सामग्री, साफ, सुदृढ़ कीट या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और किसी विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुवास से भी मुक्त होगा ।

(iii) सोयाबीन कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पैकिंग साइज में पैक होंगे ।

(iv) समान लाट/बैच के छोटे पैक आकार की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिन्ह के साथ उसके पूरे ब्यौरों सहित मास्टर आधान में पैक किया जाएगा ।

(v) प्रत्येक पैक में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के सोयाबीन होंगे ।

(vi) प्रत्येक पैक उचित रूप से और सुरक्षित रूप में बंद और सील किए जाएंगे । बोरे के मुँह पर सिलाई की जाएगी और जिससे उसकी रिसन/बिखराव को रोका जा सके ।

7. **चिन्हांकन की पद्धति** --

(i) श्रेणी अभिधान चिन्ह कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसरण में इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकिंग में सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा या मुद्रित होगा ।

(ii) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रूप में चिन्हांकित होंगी, अर्थात् :-

(क) वस्तु का नाम ;

(ख) श्रेणी ;

(ग) किस्म या वाणिज्यिक नाम ; (वैकल्पिक)

(घ) पैकिंग की तारीख ;

(ङ) पैकिंग का स्थान ;

(च) फसली वर्ष ; (वैकल्पिक)

(छ) शुद्ध भार (पैकिंग के समय) ;

(ज) पैकर का नाम और पता ;

(झ) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित) ;

(ञ) .....मास.....वर्ष तक उत्कृष्ट

(ट) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(iii) पैकेजों पर चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो सोयाबीन को संदूषित न करे ।

(iv) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार आधान पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

8. **प्राधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए विशेष शर्तें :-**

प्रत्येक प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त समय समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

(i) प्राधिकृत पैकर सोयाबीन की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ;

(ii) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन तथा अच्छी प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ;

(iii) परिसरों में पक्के फर्श वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होगी और वह कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से वे मुक्त होंगे ;

(iv) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे ।

अनुसूची - 1
(नियम 5 देखिए)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम.....
श्रेणी.....

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4देखिए)

सोयाबीन [ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मेर] की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

1. सोयाबीन फाबेसीया परिवार के ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मेर से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :-

(i) सोयाबीन

(क) पके हुए, स्वच्छ और सूखे बीजों का होगा ;

(ख) स्वस्थ होगा ;

(ग) आकार, रूप और रंग में समानता होगी ;

(घ) लाक्षणिक स्वाद और सुवास वाला होगा ;

(ङ) जीवित और मृत कीट, कीट विखंडन से मुक्त होगा ;

(च) फफूंदी आकीर्णन, भुकड़ी और कुटकी से मुक्त

(छ) मिलाए गए कृत्रिम रंजक पदार्थ आदि से मुक्त होगा ;

(ज) कृंदत बाल और मलमूत्र से मुक्त होगा ;

(झ) अखाद्य बीजों जैसे महुआ, खेसरी, एरंड, नीम, आर्जिमोन और अन्य विषैले बीजों से मुक्त होगा ;

(ञ) विकृतगंधी और फफूंदीदार अवस्था से मुक्त होगा ;

(ट) बीज से दुर्गंध नहीं निकलेगी या आर्द्र अवस्था के कारण विकृत नहीं होगी ।

(ii) यह भारी धातुओं, कीटनाशियों और नाशकजीवमारों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अपशिष्ट स्तर के विषय में निर्बंधनों और घरेलू प्रयोजनों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथाविहित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडो का अनुपालन करेगी ।

(iii) यह भारी धातुओं, कीटनाशियों की अपशिष्ट और निर्यात के लिए कोडेक्स एलिमेनटेरीयस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य सुरक्षा मापदंडो या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड :

श्रेणी अभिधान	विजातीय पदार्थ		विखंडित या चिटके हुए बीजों का प्रतिशत भार के आधार पर (अधिकतम)	अपरिपक्व, मुरझाए हुए और हरे बीज प्रतिशत भार के आधार पर (अधिकतम)	क्षतिग्रस्त कीट संक्रमित बीजों का प्रतिशत भार के आधार पर (अधिकतम)	अन्य खाद्य बीजों का प्रतिशत भार के आधार पर (अधिकतम)	नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	तेल का प्रतिशत भार द्वारा शुष्क आधार पर (न्यूनतम)	(वाई+10 आर) के रूप में व्यक्त 1/16" सैल में लोवीबांड स्केल पर निकाले हुए तेल का रंग
	कार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)	अकार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	0.10	0.10	2.0	2.0	शून्य	शून्य	7.0	20.0	20.0
मानक	0.50	0.25	3.0	3.0	0.5	0.5	9.0	18.0	30.0
साधारण	0.75	0.25	4.0	7.0	2.0	1.0	12.0	15.0	40.0

* जीव उद्गम की अशुद्धताएं 0.10% से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण-स्तंभ 2 से 7 तक का योग साधारण ग्रेड में 11% से अधिक नहीं होगा ।

4. अन्य अपेक्षाएं :-

(i) सोयाबीन की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें :-

-- परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए और

-- गंतव्य स्थान पर समाधानप्रद दशा में पहुचने के लिए ।

(ii) सोयाबीन स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:

(क) विजातीय पदार्थ

(i) कार्बनिक वस्तु जिसमें सोयाबीन से भिन्न पत्तियां, टहनी, तने, कार्बनिक पदार्थ हैं ।

(ii) गैर कार्बनिक पदार्थ, जिसमें धात्विक टुकड़ों, बजरी, धूल, गुटका, पत्थर, मिट्टी के ढेले, मृदा, कीचड़ और पशु गंदगी है ।

(ख) क्षतिग्रस्त और घुने हुए बीज जो पूर्णतः और भागतः घुन द्वारा उत्पन्न या खाए जाते हैं या जो उष्मा, जीवाणु और नमी के परिणामस्वरुप आंतरिक रुप से क्षतिग्रस्त हैं ।

(ग) अपरिपक्व और मुर्झाए हुए बीज जो पूर्णतः परिपक्व या उचित रुप से विकसित नहीं हैं और आकार में झुर्रीदार हैं ।

(घ) विखंडित या चिटके हुए बीजों से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जिनका आवरण टूटा हुआ होने के साथ यांत्रिक रुप से क्षतिग्रस्त हैं ।

[फा. सं. 18011/2/2011-एम-II]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2011

G.S.R. 573(E).— the following draft of the Soybeans Grading and Marking Rules, 2011 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in super session of Soybeans Grading and Marking Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession is hereby published, as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

2. Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified above, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001, who shall forward the same to the Central Government for consideration.

3. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement:-

(1) These rules may be called Soybeans Grading and Marking Rules, 2011.

(2) They shall apply to Soybeans obtained from of plant *Glycine max* (L.) Merr. of family *Fabaceae*

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2(1). Definitions:-

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Soybeans in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Soybeans with the grade designation mark;

(iv) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(v) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 5.

(vi) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

2(2). Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 shall have the same meaning as are assigned to them under that Act.

3. Grade designations. - The Grade designations to indicate the quality of Soybeans shall be as set out in column I of Criteria for Grade designation of Schedule II.

4. Quality. - For the purpose of these rules, the quality of Soybeans shall be as given in Schedule II.

5. Grade designation mark.- The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

6. Method of packing:-

(i) Soybeans shall be packed in gunny bags or jute bags, polywoven bags, poly pouches, cloth bags, High Density Poly Ethylene (HDPE) laminated paper bags, new or un-mended B-Twill bags or any other packing material with suitable inner lining as approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(ii) The packing material shall be clean, sound, free from insect and/or fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(iii) Soybeans shall be packed in pack sizes as per the instructions issued by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(iv) Graded material of small pack sizes of the same lot/batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(v) Each package shall contain Soybeans of the same type and of the same grade designation.

(vi) Each package shall be properly and securely closed and sealed. The mouth of the bag should be stitched as to disallow sweating/spilling.

7. Method of Marking:-

(i) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with Rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(ii) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package.

(a) Name of the Commodity
(b) Grade;
(c) Variety or trade name; (optional)
(d) Date of packing;
(e) Place of packing;
(f) Crop year (optional)
(g) Net weight (when packed;
(h)) Name and address of the packer;
(i) Maximum retail Price (inclusive of all taxes);
(j) BEST BEFORE_____MONTH_____YEAR;
(k) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser

(iii) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the Soybeans.

(iv) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of certificate of authorisation:-

In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural marketing Adviser from time to time;

(i) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Soybeans.

(ii) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(iii) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(iv) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 5)
(Design of Agmark insignia)

Name of the Commodity.....

Grade.....

SCHEDULE –II
(see rule 3 and 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF SOYBEANS [*Glycine max* (L.) Merr.]

1. Soybeans shall be obtained from *Glycine max* (L.) Merr. of family *Fabaceae*.

2. Minimum Requirements:

(i) Soybeans shall be:-

(a) mature, clean and dried seeds ;
(b) wholesome;
(c) uniform in size, shape, colour;
(d) of characteristic taste and flavour;
(e) free from living and dead insects, insect fragments;
(f) free from fungus infestation, moulds and mites;
(g) free from added colouring matter;
(h) free from rodent hair and excreta;
(i) free from the non edible seeds such as Mahua, Khesari, Castor, Neem, Argemone and other toxic seeds;
(j) free from rancidity and mustiness
(k) the seed shall not emit foul odour, or found deformed due to moist condition.

(ii) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(iii) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION

Designation	Extraneous matter		Split or cracked seed percent by mass (max.)	Immature, shriveled and green seeds percent by mass (max.)	Damaged and Weevilled seeds percent by mass (max.)	Other edible seeds percent by mass(max.)	Moisture, percent by mass (max.)	Oil content, percent by mass on dry basis (Min.)	Colour of extracted oil on lovibond scale exressed as (Y+10R) in 1/16" cell
	Organic percent by mass (max.)	*Inorganic, percent by mass (max.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	0.10	0.10	2.0	2.0	Nil	Nil	7.0	20.0	20.0
Standard	0.50	0.25	3.0	3.0	0.5	0.5	9.0	18.0	30.0
General	0.75	0.25	4.0	7.0	2.0	1.0	12.0	15.0	40.0

* Impurities of animal origin shall not exceed 0.10%.

Note: - The total of column no. 2 to 7 shall not exceed 11% in General grade.

4. Other requirements:

(i) The condition of the Soybeans shall be as to enable it:-
- to withstand transport and handling and
- to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Soybeans shall be stored in appropriate cool and dry place maintained in a clean and hygienic condition.

Explanation:

(a) Extraneous matter:

(i) Organic matter consists of leaves, twigs, stems, organic matters other than the Soybeans.

(ii) Inorganic matter consists of metallic pieces, sand, gravel, dirt, pebbles, stones, lumps of earth, clay and mud, animal filth.

(b) Damaged and Weevilled seeds that are partially or wholly bored or eaten by insect or are internally damaged as a result of heat, moisture, insect or microbial action.

(c) Immature and shriveled seeds which are not fully mature or properly developed and shrunk out of shape.

(d) Split or cracked seeds means mechanically damaged pieces with broken seed coat.

[F. No. 18011/2/2011-M. II]

RAJENDRA KUMAR TIWARI, Jt. Secy. (Marketing)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054..